(c) if not, in what manner do the roles and functions of the said institutions differ from each other?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (e) Both the Super Bazar and the Kendriya Bhandar are registered co-operative societies. Both these stores have some common functions like retailing of consumer goods. However, their constitution, management, and membership differ according to their bye-laws. Kendriya Bhandar (Central Govt. Employees Consumer Cooperative Society Ltd.) is registered under the Delhi Cooperative Societies Act. Its area of operation is confined to the Govt. of N.C.T. of Delhi and its membership is open to the employees of the Govt. of India, Delhi Govt. and subsidiary/ autonomous organisations. The Super Bazar is a co-operative store with its area of operation extending to the whole of India and its membership open to the general public.

There is no proposal to amalgamate these two organisations.

**सभी श्रेणियों के मजदूरों को भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत लाने हेतु अध्यावेदन**

760. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि संगठनों ने सभी श्रेणियों के मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत लाने हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि योजना के अंतर्गत मजदूरों/कर्मचारियों का कुल कितना-कितना मासिक/वार्षिक योगदान निर्धारित किया गया है और अब तक कितने कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है;

(ग) क्या कुछ बड़े औद्योगिक घरानों ने इस योजना का विरोध किया है;

(घ) कौन-कौन से शीर्ष दस औद्योगिक घरानों ने इस योजना को लागू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम):** (क) और(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, 177 अनुसूचित उद्योगों में आने वाले 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में नियोजित दिहाड़ी मजदूरों सहित सभी कर्मकारों के लिए लागू है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अधिनियम में निर्धारित मानकों और मानदंडों पर ध्यान न देते हुए सभी कर्मकारों को परिधि में लेने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है प्रतिष्ठान के स्वरूप के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की दर मासिक मजदूरी का 8.33% अथवा 10% है। दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, इस योजना की परिधि में 187.24 लाख कर्मचारी थे।

(ग) से (ङ) अधिनियम की परिधि में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन एक सांविधिक आवश्यकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करने वाले चोटी के औद्योगिक घरानों के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

**Export of Pulses**

761. SHRI JANARDHAN POOJARY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity and value of pulses exported during the last two years and so far during the current year;

(b) the amount of foreign exchange earned as a result thereof; and

(c) the impact such exports have on the prices in domestic market where the prices are very high?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) The quantity of pulses exported including that from 100% EOU's and units located in EPZ's (who are